न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 51/2006

1 हाफीज अली खान पुत्र कासम अली
2 श्रीमती प्रवीन बानो स्त्री हाफीज अली खान
3 श्रीमती जरीना बानो स्त्री मनवर अली खान
4 श्रीमती कादर बानो स्त्री रज्जाक अली खान
5 श्रीमती सरीफत बानो स्त्री मुस्ताक अली खान
जाति समस्त कायमखान मुसलमान निवासीगण खुडाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 मोहर सिंह पुत्र झाबरमल जाति जाट निवासी खुडाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.। (दौराने अपील मृतक)
1/1 मु.संतोष स्त्री स्व. मोहर सिंह
1/2 सुरेन्द्र पुत्र स्व. मोहर सिंह
1/3 संजय पुत्र स्व. मोहर सिंह
जाति जाट निवासी खुडाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
1/4 सुनिता स्त्री सुधीर पुत्री स्व. मोहर जाति जाट निवासी बी–38 बसन्त विहार झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2 महेन्द्र सिंह पुत्र झाबरमल जाति जाट निवासी खुडाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
3 इन्द्राज पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी खुडाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.। दौराने अपील मृतक
3/1 श्रीमती धर्मा देवी पत्नी स्व. श्री इन्द्राज
3/2 विजय कुमार पुत्र स्व. श्री इन्द्राज
3/3 सुदेश पुत्र स्व. श्री इन्द्राज
जाति समस्त जाट निवासी खुडाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
3/4 भगवती पत्नी महावीर पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी उदावास तहसील व जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

3/5 प्रेमा पत्नी आदराम पुत्री इन्द्राज जाति जाट निवासी मैनपूरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
3/6 सुनिता पत्नी नेमीचन्द पुत्री इन्द्राज जाति जाट निवासी हनुतपुरा तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.। निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
4 मु. अन्जु देवी स्त्री संजय कुमार
5 मु. सन्तोष बेवा दाताराम
जाति समस्त जाट निवासी खुडाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
6 विजय सिंह पुत्र हरसुख जाति जाट निवासी कंवरपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ.धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा मुकदमा उनवानी हाफीज अली खान वगै. बनाम मोहर सिंह वगै. प्रार्थना पत्र रिसीवरी अ. धारा 212 आरटीएक्ट 1955 व अ.आदेश 40 नियम 1 जा.दी. मु.नं. 48/06 निर्णय दिनांक 19.05.2006

अपील संख्या 43/2006

1 हाफीज अली खान पुत्र कासम अली
2 श्रीमती प्रवीन बानो स्त्री हाफीज अली खान
3 श्रीमती जरीना बानो स्त्री मनवर अली खान
4 श्रीमती कादर बानो स्त्री रज्जाक अली खान
5 श्रीमती सरीफत बानो स्त्री मुस्ताक अली खान
जाति समस्त कायमखान मुसलमान निवासीगण खुडाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपीलांटस

बनाम

1 मोहर सिंह पुत्र झाबरमल जाति जाट निवासी खुडाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.। (दौराने अपील मृतक)
1/1 मु.संतोष स्त्री स्व. मोहर सिंह
1/2 सुरेन्द्र पुत्र स्व. मोहर सिंह
1/3 संजय पुत्र स्व. मोहर सिंह
जाति जाट निवासी खुडाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
1/4 सुनिता स्त्री सुधीर पुत्री स्व. मोहर जाति जाट निवासी बी–38 बसन्त विहार झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2 महेन्द्र सिंह पुत्र झाबरमल जाति जाट निवासी खुडाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
3 इन्द्राज पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी खुडाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.। दौराने अपील मृतक
3/1 श्रीमती धर्मा देवी पत्नी स्व. श्री इन्द्राज
3/2 विजय कुमार पुत्र स्व. श्री इन्द्राज
3/3 सुदेश पुत्र स्व. श्री इन्द्राज
जाति समस्त जाट निवासी खुडाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
3/4 भगवती पत्नी महावीर पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी उदावास तहसील व जिला झुन्झुनूं।
3/5 प्रेमा पत्नी आदराम पुत्री इन्द्राज जाति जाट निवासी मैनपूरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
3/6 सुनिता पत्नी नेमीचन्द पुत्री इन्द्राज जाति जाट निवासी हनुतपुरा तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.। निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
4 मु. अन्जु देवी स्त्री संजय कुमार
5 मु. सन्तोष बेवा दाताराम
जाति समस्त जाट निवासी खुडाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
6 विजय सिंह पुत्र हरसुख जाति जाट निवासी कंवरपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ.धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय उपखण्ड
अधिकारी चिड़ावा मुकदमा उनवानी हाफीज अली खान
वगै. बनाम मोहर सिंह वगै. प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
मु.नं. 26/2006 निर्णय दिनांक 19.05.2006

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट (अनुपस्थित)
3. श्री जगदीश काजला, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट (अनुपस्थित)

–निर्णय–

दिनांकः– 11/7/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 48/2006, 26/2006 में पारित निर्णय दिनांक 19.05.2006 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) प्रस्तुत कर ग्राम खुडाना की भूमि खसरा नम्बर 380, 651, 674, 675, 691, 692, 758/506, 11 व 20 में से केवल खसरा नम्बर 11, 20 पर रिसीवर नियुक्त करने का अनुतोष चाहा। इसी प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 212 प्रस्तुत कर ग्राम खुडाना की भूमि खसरा नम्बर 380, 651, 674, 675, 691, 692, 758/506, 11 व 20 में से केवल खसरा नम्बर 11, 20 पर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद जारी करने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से दोनों प्रार्थना पत्र खारिज किये है। इससे व्यथित होकर यह दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्टस ने उपरोक्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्राथना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 19.05.2006 को विचारण न्यायालय ने निर्णय पारित कर अपीलान्टस की प्रार्थना पत्र खारिज कर दी। विचारण न्यायालय़ ने बिना निर्णय लिखवाये केवल आदेशिका पर निर्णय पारित किया है। जो कि कानूनन अवैध है। कानून से बिना निर्णय लिखवाये निर्णय नहीं सुनाया जा सकता। जमीन हाल खसरा नम्बर 319 रकबा 0.08 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 320 रकबा 0.21 हैक्टेयर सरहद मौजा खुडाना स्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमि में अपीलान्टस को टिनेन्ट है। अपीलान्टस ने जरिये पंजीकृत विकय विलेख के उक्त जमीन जैर बहस को कय किया है। उपरोक्त वर्णित आराजियात के कुल रकबा में से अपीलान्टस के हिस्से से कुल 1.46 हैक्टेयर भूमि आती है। अपीलान्टस जमीन खसरा नम्बर 11 व 20 पर काबिज है। जमीन खसरा नम्बर 11 व 20 से अपीलान्ट को रेस्पोडेन्टस बेदखल करने पर उतारू है तथा जमीन की किस्म बदलने पर उतारू है कानून से जब तक विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तब तक जमीन की किस्म नहीं बदली जा सकती। अपीलान्टस रिकार्डेड टिनेन्ट है। अपीलान्टस का विभाजन का दावा लंबित है। ऐसी स्थिति में अपीलान्टस का प्राईमा फेसी केश है। दौराने दावा यदि जमीन की किस्म परिवर्तित की जाती है अथवा अपीलान्टस के कब्जे काश्त में दखल दी जाती है तो अपीलान्टस को नुकसान होगा। इस प्रकार प्राईमा फेसी केश व सुविधा का संतुलन भी अपीलान्टस के पक्ष में है। अपीलान्टस का बतौर रिकार्डेड को टिनेन्ट जमीन जैर बहस पर कब्जा काश्त है। उक्त जमीन जैर बहस सहखातेदारी की है तथा उक्त जमीन जैर बहस का विभाजन नहीं हुआ है। अगर उस सूरत में मौके पर किसी विशेष हिस्से पर कोई सहखातेदार निर्माण व खुर्द बुर्द करता है तो उस अकेले खातेदार को यह हक नहीं है कि बिना विभाजन करवाये ऐसा कृत्य करें। अपीलान्टस द्वारा अपने रिसीवर प्रार्थना–पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रेस्पोडेन्टस मौके पर शांति भंग व उक्त जमीन जैर बहस में निर्माण करने पर आमादा है तो अपीलान्टस के हकुको की रक्षार्थ उक्त जमीन को रिसीवर में लेना उचित व न्यायोचित था। उक्त जमीन रिसीवर में रहने से ना तो मौके पर शांति भंग होगी ना ही कोई खुन खराबा होने का अन्देशा रहेगा। उक्त सहखातेदारी की भूमि में से खसरा नम्बर 20 व 11 में

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

रेस्पोडेन्टस खुर्द–बुर्द व निर्माण करने पर अमादा है। यह तथ्य अपीलान्टस ने अपने प्रार्थना–पत्र में उठाया है। इस कारण उक्त जमीन को रिसीवर में लेना भी जरूरी है। अगर उक्त जमीन जैर बहस को रेस्पोडेन्ट खुर्द–बुर्द व उक्त जमीन में निर्माण कर लेता है तो अपीलान्टस का दावा पेश करना ही बेकार हो जावेगा। विचारण न्यायालय ने प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन व अपार क्षति के बिन्दु की न्यायिक व्याख्या नहीं की है। निर्णय जैर बहस अवैधानिक व बिना आधार के है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस की प्लींडिग एवं दस्तावेजी साक्ष्य को नजर अन्दाज किया है। अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जाकर अपीलान्टस का आवेदन–पत्र रिसीवरी स्वीकार फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) प्रस्तुत कर ग्राम खुडाना की भूमि खसरा नम्बर 11, 20 पर रिसीवर नियुक्त करने का अनुतोष चाहा। इसी प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 212 प्रस्तुत कर ग्राम खुडाना की भूमि खसरा नम्बर 11, 20 पर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद जारी करने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से दोनों प्रार्थना पत्र खारिज किये है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत धारा 212 के अन्तर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन एवं धारा 212 (2) के अन्तर्गत रिसीवरी का आवेदन विचारणीय था। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से दोनों आवेदनों को खारिज किया है।

विधि में स्पष्ट प्रावधान है कि धारा 212 के आवेदन के निस्तारण के लिए पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन कर प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दुवार निस्तारण कर निर्णय पारित करना होता है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुवार विवेचन विश्लेषण एवं निस्तारण किए बिना विचाराधीन निर्णय से धारा 212 का आवेदन खारिज कर विधिक त्रुटि की है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

इसी प्रकार विधि में स्पष्ट प्रावधान है कि धारा 212 (2) रिसीवरी के आवेदन के निस्तारण के लिए विवादित भूमि के संदर्भ में राजस्व एजेन्सी से विवादित भूमि के वेस्ट डेमेज एलिनेट होने की रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई आवेदन का निस्तारण करना चाहिए। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन प्रकरण में इस प्रक्रिया की पालना किये बिना वेस्ट डेमेज एलिनेट के बिन्दु पर विवेचन किए बिना धारा 212 (2) का आवेदन खारिज कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचनानुसार विधिक प्रक्रिया की पालना कर उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 11/7/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
झुन्झुनूं